फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 05/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/17) **बालू बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.09.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री नरेश जणवा - वकील अपीलार्थी 2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी **अनवान** **1. श्री बालु पिता मांगु भील, निवासी बनाकिया कलॉ, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।** **2. श्री गोपी पिता मांगु भील, निवासी बनाकिया कलॉ, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।** **3. श्री सोहन पिता मांगु भील, निवासी बनाकिया कलॉ, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।** **4. श्री हीरालाल पिता मांगु भील, निवासी बनाकिया कलॉ, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।** **5. श्री नारायण पिता मांगु भील, निवासी बनाकिया कलॉ, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।** **अपीलार्थी** **1. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़।** **2. प्राधानाचार्य, राज.उ.मा.विद्यालय, बनाकिया कलॉ, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।** **3. भूमिधारी तहसीलदार, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ आदेश क्रमांक/राजस्व/12-3(6)16/456 दिनांक 21.03.2016** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 29.09.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ आदेश क्रमांक/राजस्व/12-3(6)16/456 दिनांक 21.03.2016 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा राजस्व ग्राम बनाकिया कलॉ तहसील कपासन के आराजी संख्या 263, 457, 458, 459, 460 किस्म चारागाह भूमियों की राज.उ.मा. वि. बनाकिया कलॉ के भवन एवं खेल मैदान के लिए आवंटित किये जाने हेतु प्रस्तावत ग्राम पंचायत की अनापत्ति के अभिशंषा के जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत किये जिस पर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा राज.उ.मा.वि. बनाकिया कलॉ के भवन एवं खेल मैदान के लिए उपरोक्त आराजीयात का आवंटन जरिये आदेश क्रमांक/राजस्व/12-3(6)16/456 दिनांक 21.03.2016 किया गया। उक्त आदेश दिनांक 21.03.2016 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ समक्ष अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी एवं धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की। उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की गई। तत्पश्चात् राजस्व ग्रुप-6 विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 की अनुपालना में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्राप्त हुई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449-50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 10.03.2021 को दर्ज की गई। तत्पश्चात हस्तगत प्रकरण अदम पैरवी अहम हाजरी में खारिज किये जाने पर रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे आदेश दिनांक 15.12.2021 की पालना में पुनः रेस्टोर किया गया और दिनांक 19.01.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 22.09.2023 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है** कि आराजी नम्बर 286, 458 एवं 459 पर अपीलार्थीगण अपने बाप दादाओं के समय से काबिज होकर उक्त भूमि पर कृषि करते चले आ रहे है और उक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 05/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/17) **बालू बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भूमि का विकसित किया, उक्त भूमि के अलावा अपीलार्थीगण के जीवनयापन का अन्य कोई साधन नहीं है। उक्त आराजीयात पर कब्जे के संबंध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत जारी धारा-91 के नोटिस की प्रतियां अपील के साथ प्रस्तुत की गई है। साथ ही फसल निलामी की रसीदें भी प्रस्तुत की गई जो अपीलार्थीगण के कब्जे का साबित करती है। अपीलार्थीगण वर्षों से पेनाल्टी भी जमा कराते हुए आ रहे है। उक्त आवंटन कानून की निगाह में विधि विपरित है, इस पर ग्राम सभा का प्रस्ताव नहीं किया गया, यदि ग्राम सभा की कोई मिटिंग होती तो मौके पर अपीलार्थीगण का कब्जा स्पष्ट प्रमाणित होता। आवंटित भूमि चरागाह है, जिसके आवंटन से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। विद्यालय को खेल मैदान के लिए कोई भूमि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्कूल से लगी हुई जो लगभग 15 बीघा भूमि खेल मैदान के उपयोग में आ रही है जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, जबकि आवंटित भूमि से जो लगभग 1.5 किलोमीटर काफी दुर दक्षिण-पश्चिम कोने में है, इसलिए यहा पर भी मैदान बनाया जाना संभव नहीं है। तहसीलदार द्वारा आवंटन से पूर्व मौका निरीक्षण नहीं किया गया, केवल राजनैतिक प्रभाव में आकर पटवारी को बुलाकर कार्यालय में ही रिपोर्ट तैयार की। अगर मौका देखते तो जमीने के चारों ओर लगी थोहर व कांटो की बाड़ तथा बड़े-बड़े वृक्ष तथा पूर्ण विकसित काबिल काश्त भूमि स्पष्ट नजर आती जो पटवारी हल्का के ज्ञान में थी। कानूनन अनऑक्युपाईड लेण्ड ही आवंटन हो सकती है जबकि प्रश्नगत भूमि ऑक्यूपाईड लेण्ड होकर वर्षों से काश्त होती चली आ रही है। अपीलार्थीगण अपीलाधीन आदेश से पूर्णतयः प्रभावित होकर अपूर्णीय क्षति से ग्रस्त है, इसलिए अपील प्रस्तुत करने के लिए धार 96 जादी के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत है। उक्त आदेश अपीलार्थीगण के परोक्ष पारित किया गया, जिससे अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय नहीं हो सकी, प्राधानाचार्य के भूमि खाली करने की घमकी मिलने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई और जानकारी होते ही नकलें प्राप्त कर अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दौराने अपीलीय कार्यवाही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 मय दस्तावेज पेश कर निवेदन किया कि उक्त आदेश के उपरान्त अपीलार्थीगण ने एक वाद बाबत घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा-88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जो विचाराधीन है, जिसके दस्तावेज पत्रावली पर लिया जाना आवश्यक है। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर दिनांक 21.03.2016 का आदेश निरस्त फरमाया जाकर उक्त आराजीयात अपीलार्थीगण के नाम आवंटित किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

राजकीय पेरोकार द्वारा प्रकरण को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर गुणावगुण निस्तारित किये जाने का अनुरोध किया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधिक होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

सर्वप्रथम हम अपील के साथ के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी पर निर्णय किया जाना उचित समझते है। अपीलार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त होने का कथन प्रस्तुत किया है और इसके संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिनका उल्लेख निर्णय में आगे किया जा रहा है और अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उसे पक्षकार नहीं बनाया गया, ऐसे में प्रथम दृष्टया उसके हित व अधिकार प्रभावित होना पाया गया, ऐसे में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी स्वीकार किया जाकर हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण के परोक्ष पारित किये जाने से न्यायहित में अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम स्वीकार की जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 05/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/17) **बालू बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दौराने कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी का प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेज राजकीय विभागों से जारी किये गये दस्तावेज है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी दस्तावेज व राजकीय विभागों के दस्तावेजों की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अतः प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा राजस्व ग्राम बनाकिया कलॉ तहसील कपासन के आराजी संख्या 263, 457, 458, 459, 460 किस्म चारागाह भूमियों की राज.उ.मा.वि. बनाकिया कलॉ के भवन एवं खेल मैदान के लिए आवंटित किये जाने हेतु प्रस्तावत ग्राम पंचायत की अनापत्ति के अभिशंषा के जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत किये जिस पर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा राज.उ.मा.वि. बनाकिया कलॉ के भवन एवं खेल मैदान के लिए उपरोक्त आराजीयात का आवंटन जरिये आदेश क्रमांक/राजस्व/12-3(6)16/456 दिनांक 21.03.2016 किया गया। उक्त आदेश की विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

यहा हम राजस्थान भू-राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिकोपयोगी भवनों के निर्माणार्थ राजकीय भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के प्रावधानों का उल्लेख किया जाना उचित समझते है। इस नियमों के नियम 1 में आवंटित की जाने वाली भूमि का वर्ग निधारित किया गया है, जो इस प्रकार से है-

1. Class of land to be allotted. (1) **Any unoccupied Government land** except land recorded as Johad Paitan and beds of river or tank, may be allotted for any of the purposes mentioned in clause (2), if the allotting authority is satisfied that no suitable unculturable land is available:

उपरोक्त नियमानुसार सिर्फ **अनऑक्यूपाईड भूमि** का उक्त प्रयोजनार्थ आवंटन किया जावेगा। इस प्रावधान के परिपेक्ष्य में इस न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का परिक्षण किया गया और पाया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर अपने कब्जे के संबंध में 1987 से 2013 तक के कब्जे के संबंध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-91 के तहत जारी नोटिसों की प्रतियां एवं फसल निलामी की रसीदे प्रस्तुत की गई। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के साथ वर्ष 2022 के दौरान अपीलार्थीगण पर जारी नोटिस अन्तर्गत धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की प्रतियां एवं तहसीलदार कपासन द्वारा धारा-91 के तहत पारित निर्णय दिनांक 24.08.2022 की प्रतियां प्रस्तुत की है। उक्त राजकीय विभाग से जारी नोटिसों एवं रसीदों से आवंटित भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त किया जाना प्रमाणित होता है और यह प्रकट होता है कि **वक्त आंवटन उक्त भूमियों अनऑक्यूपाईड नहीं थी, उस पर अपीलार्थीगण का कब्जा था।** वक्त आवंटन पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में कब्जा काश्त के बारे में सही तथ्य प्रकट नहीं किये। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के साथ अपीलार्थीगण द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 20.06.2022 प्रस्तुत की गई जिसमें अंकन किया गया है कि ''वर्तमान पर इस आराजी नं. 3765/283, 457, 458, 459, 460 पर बालु पिता मांगु भील, गोपी पिता मांगु भील, सोहन पिता मांगु भील, हीरालाल पिता मांगु भील, नारायण पिता मांगु भील द्वारा मौके पर कब्जा कर रखा है व वर्तमान में **मौके पर ट्रेक्टर से जोत रखा है व एक तरफ तार-जाली कर रखी है, एक छोटी सी टपरी बना रखी है, खेत में चारा भी रखा है।**'' उक्त रिपोर्ट भी अपीलार्थीगण के कब्जा काश्त किये जाने एवं भूमि को विकसित किये जाने के तथ्यों को प्रमाणित करती है। प्रस्तुत साक्ष्यों से यह प्रकट होता है कि वक्त आवंटन, जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ समक्ष आवंटन प्रस्ताव भिजवायें से पूर्व कब्जे के संबंध में अपेक्षित जांच नहीं की गई, जबकि साक्ष्य अपीलार्थीगण के वर्ष 1987 से कब्जे को प्रमाणित करता है। इसके अतिरिक्त वक्त आवंटन, पटवारी हल्का द्वारा भूमि का पड़त होना अंकन किया जबकि उक्त भूमि पड़त न होकर काबिल काश्त होकर फसलों की निलामी की जा रही थी। इस प्रकार की गलत रिपोर्ट किया जाना वाद बाहुल्यता को

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 05/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/17) **बालू बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बढ़ावा देती है, जिसका परिणाम हस्तगत प्रकरण है। यदि आंवटन अधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ समक्ष वास्तविक तथ्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती तो जिला कलक्टर स्तर से ऐसा त्रुटिपूर्ण आवंटन आदेश पारित नहीं होता। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि नियम-1 अन्तर्गत आवंटन नियम-1963 के अनुसार आवंटित भूमि अनाधिवासित भूमि नहीं थी, जिससे विवादित भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलाधीन आंवटन आदेश का यह न्यायालय समर्थन नहीं करता है जिससे उक्त आंवटन आदेश दिनांक 21.03.2016 निरस्तनीय है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट स्वीकार** की जाती है। जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन आंवटन आदेश दिनांक 21.03.2016 निरस्त किया जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (महावीर खराड़ी, R.A.S.) अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	